5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालयः— माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. /2015 निगरानी R 65-I-15

1. चिन्टू पुत्र पहलवान यादव निवासी ग्राम मौराहा तह. व जिला छतरपुर म.प्र.
2. अनुभूति पुत्री शिवनारायण अग्रवाल
3. विभूति पुत्री शिवनारायण अग्रवाल निवासीगण बुन्देलखण्ड कॉम्पलैक्स जावाहर रोड़ छतरपुर तह.व जिला छतरपुर म.प्र.

---- प्रार्थीगण

विरूद्ध

1. श्रीमती फूला देवी पत्नी श्याम सुन्दर त्रिपाठी निवासी ग्राम म.प्र.

---- प्रतिप्रार्थी गण

श्री ... द्वारा आज दि. 13.1.15 को प्रस्तुत
13/1/15
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू—राजस्व संहिता 1959 न्यायालय तहसीलदार महो. तहसील छतरपुर जिला छतरपुर के प्र.क. 18/12—13/अ—3 में पारित आदेश दिनांक 31.05.2013 के बिरूद्ध निगरानी जानकारी दिनांक 01.01.2015 से प्रस्तुत।

13.1.15

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से निगरानी निम्न प्रकार पेश है।

निगरानी के संक्षेप में तथ्य :—

यह कि, अनावेदिका द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महो. छतरपुर के समक्ष भूमि सर्वे क. 1987/2/2 रकवा 1.007 है. के संबंध में सीमांकन हेतु आवेदन पत्र संहिता की धारा 129 के अधीन प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पत्र के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर प्र.क. 18/12—13/अ—3 पर दर्ज किया जा कर आपत्तियां आहूत किये बिना तथा अनावेदक द्वारा बिना सीमांकन नियमों का पालन किये आदेश दिनांक 31.05.2013 को पारित करा लिया गया। उक्त प्रकरण में कोई सूचना पत्र जारी नहीं किया गया और ना ही सरहदी कृषकों को सीमांकन सम्बंधी कोई सूचना पत्र जारी किया गया। परन्तु आवेदकगण को तलब किये बिना दिनांक 25.12.2014 से सीमांकन स्थल का पंचनामा तैयार हुआ। कि, मौके पर कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं है, तथा कोई स्थाई सीमाचिन्ह न मिलने के कारण नक्शा विहीन क्षेत्र होने के कारण नक्शाविहीन क्षेत्र घोषित किया गया। तथा सिचांई विभाग के नक्शा को आधार बताकर कर सीमांकन आदेश पारित कर दिये गये। उक्त आदेश से दुखित होकर जानकरी दिनांक 01.01.2015 से निगरानी निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत है :—

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-65-एक/2015 जिला छतरपुर चिन्टू विरूद्ध फूलादेवी व शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. पक्षकारों की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा तहसीलदार तहसील व जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 18/अ3/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 31-05-2013 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 13-01-2015 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 15-04-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 01/02/19
सदस्य